



KHAN GLOBAL STUDIES

KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880

BPSC - Current Affairs

By : SKC Sir

भारत का G20 नेतृत्व

- सभी सदस्य देशों द्वारा 'नई दिल्ली घोषणा-पत्र' को एकमत से स्वीकार किए जाने से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत, इस सम्मेलन में बड़ी शक्तियों के बीच मतभेद को समाप्त करने में सक्षम रहा है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष के G20 सम्मेलन के बाद से ही विश्व की महाशक्तियों के बीच मतभेद काफी बढ़ गए थे। G20 की भारत की अध्यक्षता तथा इसकी सफलता से यह सिद्ध होता है कि "भारत विश्व के लिए तथा विश्व भारत के लिए तैयार है"।
- 9-10 सितंबर, 2023 तक नई दिल्ली के 'भारत मंडपम अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-कन्वेंशन सेंटर (IECC) में 18वां G20 शिखर सम्मेलन-2023 आयोजित किया गया। यह भारत के साथ-साथ दक्षिण एशिया में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इस वर्ष की बैठक को थीम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' अथवा 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' थी।



- यह शिखर सम्मेलन 'नई दिल्ली घोषणा-पत्र' (New Delhi Declaration) को अपनाने के साथ समाप्त हुआ, जिसे सभी सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। यूक्रेन संकट पर अपनाए गए रुख पर रूस और चीन दोनों की सहमति को देखते हुए यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है।
- शिखर सम्मेलन में अनेक नवीन वैश्विक पहलों को आरंभ किया गया, जो आने वाले समय में वैश्विक परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखती हैं।
- इस वर्ष के G20 शिखर सम्मेलन की सफलता भारत को विश्व की विभिन्न जटिल आर्थिक एवं राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण का नेतृत्व करने के साथ-साथ विकासशील विश्व की आकांक्षाओं को मंच पर सबसे आगे रखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।
- इतना ही नहीं, नई दिल्ली घोषणा-पत्र पर सामूहिक सहमति तथा अन्य उपलब्धियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान सम्मेलन समावेशी वैश्विक व्यवस्था के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।

शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणाम

नई दिल्ली घोषणा-पत्र

- सम्मेलन के समापन के अवसर पर 'नई दिल्ली घोषणा-पत्र' (New Delhi Declaration) को अपनाया गया। इस घोषणा-पत्र के मुख्य बिंदुओं को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है-
 - मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी वृद्धि:** घोषणा-पत्र में वैश्विक मूल्य-श्रृंखलाओं की पहचान के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार किए जाने की बात की गई है।
 - सदस्य देशों के आपसी सहयोग से व्यक्तियों और एमएसएमई (MSMEs) के वित्तीय समावेशन को तीव्र गति से बढ़ावा देने के लिए 'वित्तीय समावेशन कार्य योजना' (Financial Inclusion Action Plan) तैयार की जाएगी।
 - सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति की दिशा में प्रगति में तेजी लाना:** सदस्य देशों ने स्वीकार किया है कि खा मूल्य में अस्थिरता से बचने एवं इसमें अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कृषि बाजार सूचना प्रणाली (AMIS) तथा श्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन ग्लोबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग (GEOGLAM) को मजबूत किया जाना चाहिए।
 - सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता:** विकासशील देशों को विशेष रूप से उनके राष्ट्रीय स्तर पर निधारत योगदानों को लागू करने के लिए वर्ष 2030 से पूर्व 5.3 में 5.9 ट्रिलियन डॉलर राशि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, संभावित हरित विकास समझौता आवश्यक वित्त की भरपाई करने में सक्षम होगा।
 - 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं:** घोषणा-पत्र में सदस्य देशों के मध्य पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार से संबंधित 'UNGA 75/1 पर व्यापक सहमति बनी है।
 - इसी प्रकार, सभी देश बहुपक्षीय विकास बैंक (Multilateral Development Banks) पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (Capital Adequacy Framework) पर G20 की स्वतंत्र समीक्षा की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक रोडमैप पर सहमत हुए हैं।
 - तकनीकी रूपांतरण और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर:** सदस्य देशों की सहमति से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के विकास और उपयोग में सर्वोत्तम प्रवृत्तियों तथा अनुभवों को साझा करने के लिए ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी (Global Digital Public Infrastructure Repository) का निर्माण किया जाएगा।
 - क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के लिए एक समन्वित एवं व्यापक शनीतिगत तथा विनियामक फ्रेमवर्क (Policy and Regulatory Framework) का समर्थन करने हेतु संयुक्त रोडमैप तैयार करने पर भी सहमति का निर्माण हुआ है।

☞ **अंतरराष्ट्रीय कराधान:** इस घोषणा-पत्र में अंतरराष्ट्रीय कर पैकेज के द्वि-स्तंभों (Twin&Pillars) के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। इन दो स्तंभों में लाभ आवंटन एवं गठजोड़ (Profit Allocation and Alliances) तथा वैश्विक न्यूनतम कराधान (Global Minimum Taxation) शामिल हैं।

☞ **लैंगिक समानता तथा सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना:** वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए में 'महिला सशक्तीकरण पर एक पूर्ण कार्य समूह' को गठित किए जाने का समर्थन किया गया है।

☞ **पृथ्वी ग्रह: लोग, शांति और समृद्धि के लिए राह बनाना:** वैश्विक अर्थव्यवस्था पर रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा, घोषणा में सभी देशों ने यूक्रेन में व्यापक न्याय संगत और स्थायी शांति का समर्थन करने वाली रचनात्मक पहल का स्वागत किया है।

☞ **पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोडमैप:** दिल्ली घोषणा-पत्र में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोडमैप (Goa Roadmap) के महत्व को रेखांकित किया गया है।

☞ इस रोडमैप में पर्यटन से संबंधित पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, पर्यटन एमएसएमई (Tourism MSME) और गंतव्य प्रबंधन शामिल हैं।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा (IMEC)

☞ 9 सितंबर, 2023 को G20 की बैठक के दौरान 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे' (IMEC) की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

☞ IMEC की कल्पना परिवहन गलियारों (रेलवे लाइंस, विद्युत कंबल और एक स्वच्छ हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डेटा केबल) का एक नेटवर्क तैयार करने के लिए की गई है।

ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस

☞ 'ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस' (Global Biofuel Alliance : GBA) का उद्देश्य जैव-ईंधन के उपयोग को दिशा में आगे बढ़ने और इसे व्यापक तौर पर अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में कार्य करना है।

☞ जीबीए के सदस्यों में 19 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं।

G20 समूह में अफ्रीकी संघ का शामिल होना

☞ सम्मेलन के प्रथम दिन 9 सितंबर, 2023 को 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ (AU) को G20 की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई। अफ्रीकी संघ (AU) की स्थापना वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की गई थी।

- इस संघ की स्थापना का उद्देश्य अफ्रीकी देशों के मध्य एकजुटता और सौहार्द स्थापित करना तथा उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना है।

☞ **अफ्रीकी संघ को शामिल करने का महत्व:** इससे G20 को और अधिक प्रतिनिधिक संगठन बनाने में मदद मिलेगी। अफ्रीकी संघ के शामिल होने से अब यह समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 88.9% और वैश्विक जनसंख्या के लगभग 78.9% का प्रतिनिधित्व करेगा।

☞ इसी प्रकार, अफ्रीकी संघ के अधिकांश देश ग्लोबल साउथ (GS) के भी देश हैं। अफ्रीकी संघ को सम्मिलित करने से बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के पक्ष को मजबूती मिल सकेगी। इससे, अफ्रीका में चीन के प्रभाव को प्रति-संतुलित करने में भी मदद मिलेगी।

G20 समूह

☞ 'G20 की स्थापना वर्ष 1999 में 1997-98 के वैश्विक आर्थिक संकट की प्रतिक्रिया में की गई थी। यह 19 देशों, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ का एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

☞ **सदस्य देश:** G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ एवं अफ्रीकी संघ हैं।

☞ **उद्देश्य:** G20 सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन तथा सतत विकास संबंधी मुद्दों को संबोधित करने का कार्य करता है।

☞ G20 शिखर सम्मेलन को संरचना शेरपा ट्रैक तथा वित्त ट्रैक के रूप में समझी जा सकती है:

- **शेरपा ट्रैक:** सदस्य देशों के शेरपा निजी नेताओं के निजी दूत के रूप में कार्य करते हैं। इनके द्वारा वर्ष भर की सभी वातार्ताओं को देखरेख को जाती है, वे शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर चर्चा करते हैं तथा G20 के महत्वपूर्ण कार्यों का समन्वय करते हैं।
- **वित्त ट्रैक:** इसका नेतृत्व वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर करते हैं, जो आम तौर पर साल में चार बार मिलते हैं, जिनमें से दो बैठकें विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों के मौके पर होती हैं।

☞ **ट्रोइका:** G20 के पास कोई चार्टर या सचिवालय नहीं है। प्रेसीडेंसी को ट्रोइका द्वारा समर्थित किया जाता है; जिसमें पिछले, वर्तमान और आने वाले अध्यक्ष देश शामिल होते हैं।

- वर्ष 2023 के ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल थे। इसका अर्थ है कि वर्ष 2022 एवं 2023 में 20 बैठक की अध्यक्षता क्रमशः इंडोनेशिया एवं भारत द्वारा की गई है, जबकि आने वाली बैठक की मेजबानी 2024 में ब्राजील द्वारा की जाएगी।

वैश्विक कौशल अंतरालों के मापन हेतु संकेतक निर्धारित करने का निर्णय

☞ G20 बैठक के परिदृश्य में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) ने वैश्विक कौशल अंतरालों की निगरानी एवं मापन हेतु संकेतक प्रस्तावित किए हैं।

☞ इन संकेतकों पर G20 सदस्य देशों ने भी सहमत व्यक्ति की है। 'G20 रोजगार कार्य समूह' (G20 Employment Working Group) द्वारा कौशल विसंगति को समाप्त करने के लिए अग्रलिखित सुझाव दिए हैं:

☞ एक व्यापक वैश्विक कौशल वर्गीकरण (Skill Classification) विकसित किया जाना चाहिए।

☞ डेटा उत्पन्न करने, एकत्र करने, उपयोग करने और प्रसारित करने के लिए संस्थागत प्लेटफॉर्म (Institutional Platforms) का सृजन किया जाना चाहिए तथा इस क्षेत्र में उपयुक्त क्षमता विकसित की जानी चाहिए।

वर्तमान श्रम बाजार की जानकारी को विकसित करने और पूरक बनाने के लिए बिग डेटा एनालिसिस तथा मशीन लर्निंग आदि का उपयोग किया जाना चाहिए।

समावेशी विश्व व्यवस्था के निर्माण में 18वीं G20 बैठक का महत्व

त्वरित, समावेशी और लचीले विकास पर बल: वर्तमान बैठक में उन पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो संरचनात्मक परिवर्तनों को बढ़ावा दे सकती हैं। उदाहरण के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लघु एवं मध्यम आकार के व्यवसायों को सहायता करना, श्रम अधिकारों एवं कल्याण को बढ़ावा देना, वैश्विक कौशल अंतर को संबोधित करना तथा समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण करना।

वैश्विक शक्तियों के मध्य सहयोग: दिल्ली घोषणा-पत्र पर सभी देशों की आम सहमति न केवल भारत बल्कि वैश्विक परिदृश्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, रूस-यूक्रेन युद्ध तथा अन्य वैश्विक विवाद के सभी मुद्दों पर सदस्य देशों की सहमति लचीली विश्व व्यवस्था के निर्माण में सहायक होगी।

G20 का वैश्विक उभार: 18वें G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन (AU) को शामिल किए जाने से G20 समूह का स्वरूप वैश्विक हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद एवं अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण एवं अग्रणी समूहों में से एक बन गया है।

SDG पर प्रगति में तेजी लाना: जी-20 बैठक में सतत विकास एजेंडा-2030 में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इससे समावेशी विश्व व्यवस्था के निर्माण में मदद मिलेगी।

21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं: इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक संस्थानों में सुधार लाने तथा उन्हें इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों से निपटने में अधिक सक्षम, जवाबदेह, समावेशी और प्रतिनिधिक बनाने के विचार को व्यापक बल मिला है।

तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा: सम्मेलन में प्रौद्योगिकी के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। साथ ही, वित्तीय समावेशन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तथा कृषि एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में तकनीक सक्षम विकास को बढ़ावा देने की बात स्वीकार की गई है।

महिला-नेतृत्व विकास: वैश्विक स्तर पर लैंगिक असमानताओं को संबोधित करने तथा सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए महिला सशक्तीकरण एवं उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

G20 की अध्यक्षता से भारत को क्या हासिल हुआ है?

डिजिटल गतिविधियों को बढ़ावा: डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अग्रणी देश के रूप में भारतीय यूपीआई और इंडिया स्टैक (UPI and India Stack) को अपनाने से फिनटेक, उद्यमिता एवं संबंधित व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा।

ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में उभार: G20 के दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ (AU) के शामिल होने से ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।

भारत-अफ्रीका संबंधों में नई गति: भारत की अफ्रीका तक पहुंच में पिछले दशकों में कई उतार-चढ़ाव देखे गए हैं। अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना भारतीय कूटनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

आर्थिक प्रगति में सहायक: भारत एक तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था

के रूप में G20 समूह में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता से भारत को अन्य सदस्य देशों (विशेषकर ब्राजील एवं अमेरिका) के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिली है।

जलवायु परिवर्तन पर भारत का नेतृत्व: भारत जलवायु कार्रवाई का प्रबल समर्थक रहा है। भारत की वर्तमान अध्यक्षता से जलवायु परिवर्तन के इस वैश्विक मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने में सफलता मिली है।

समावेशी वैश्विक विकास को बढ़ावा: भारत अपनी अध्यक्षता में समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और महिला सशक्तीकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा है।

G20 सम्मेलन में प्रदर्शित जनजातीय कलाकृतियां

पिथौरा चित्रकारी: यह चित्रकारी गुजरात के राठवा, भील, नायक और ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। यह गुजरात के साथ राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है।

● इसे पारंपरिक रूप से घरों के अंदर दीवारों पर चित्रित किया जाता है, इन चित्रों में प्रयुक्त रूपांकनों में शेर, हाथी, भोल, महिलाएं, ताड़ के वृक्ष आदि शामिल हैं।

अंगोरा और पशमीना शॉल: यह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के उत्पाद हैं। इन्हें बौद्ध और भूटिया जनजातियों द्वारा बनाया जाता है।

● अन्य: राजस्थान की मीणा जनजाति का अंबाबाड़ी धातु शिल्प, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति की पेंटिंग और ओडिशा के कारीगरों द्वारा बनाई गई सारा पेंटिंग आदि प्रदर्शनी में शामिल थी।

निष्कर्ष

G20 का नेतृत्व भारत को एक प्रभावशाली राजनयिक और आर्थिक शक्ति के रूप में स्वयं को आगे बढ़ाने तथा विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश में निवेश एवं व्यापार प्रवाह को बढ़ावा देने का एक सफल अवसर रहा है।

इस सम्मेलन में आतंकवाद की निंदा, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा समावेशी विकास जैसे मुद्दों पर सदस्य देशों की राय को एकमत करने में सफलता प्राप्त होना यह प्रदर्शित करता है कि वैश्विक समुदाय भारत के शक्य पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के सिद्धांत का पूर्ण समर्थन करने के पक्ष में है।

हिंद महासागरीय क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां

क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता हेतु राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता : **संपादकीय डेस्क**

हिंद महासागरीय क्षेत्र का विशाल आकार सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के उत्पन्न होने पर खोज और बचाव कार्यों को जटिल बनाता है। इसके कारण समुद्री आपात स्थितियों तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रतिक्रिया करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शिपिंग मार्ग स्थित हैं, जिनमें मलक्का जलडमरूमध्य एवं होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे शिपिंग लेन तथा बोकपॉइंट शामिल हैं।

हाल ही में, सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) द्वारा गुरुग्राम में समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला (Maritime Information Sharing Workshop - MISW) का आयोजन किया गया।

- इस कार्यशाला में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association: IORA) और जिबूती आचार संहिता/जेद्दा संशोधन (Djibouti Code of Conduct/Jeddah Amendment) का प्रतिनिधित्व करने वाले 26 देशों के 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री सुरक्षा के महत्व एवं इसके मार्ग की चुनौतियों पर चर्चा की गई।



- 21 वीं शताब्दी में चीन के आर्थिक एवं राजनीतिक महाशक्ति के रूप में उभरने के साथ ही व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हिंद महासागरीय क्षेत्र में वैश्विक गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिली है। नौसैनिक एवं मालवाहक जहाजों के निरंतर आवागमन से हिंद महासागर क्षेत्र शक्ति प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है।
- इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने तथा व्यापारिक गतिविधियों के संचालन हेतु इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) तथा क्वाड (QUAD) जैसे समूहों का गठन किया गया है। अमेरिका एवं चीन जैसी विश्व की अग्रणी शक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा तथा सशस्त्र समुद्री डकैती के कारण इस क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं।

हिंद महासागर क्षेत्र: आर्थिक एवं सामरिक महत्व

- हिंद महासागर का विशाल समुद्री विस्तार है जो अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इससे संबद्ध महाद्वीपीय तटरेखा, द्वीप और द्वीपसमूह अपने विविधतापूर्ण भूगोल के लिए जाने जाते हैं।

आर्थिक महत्व

हिंद महासागर क्षेत्र जलीय कृषि पर्यटन सहित विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, जो अग्रलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है-

- व्यापार:** हिंद महासागर, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। यह यूरोप, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है।
 - विश्व का लगभग 80 प्रतिशत समुद्री तेल व्यापार इस महासागर से होकर गुजरता है, जिसमें 40 प्रतिशत होर्मुज जलडमरूमध्य से, 35 प्रतिशत मलक्का जलडमरूमध्य से और 8 प्रतिशत बाब अल-मंडेब से होकर गुजरता है।
- तेल और गैस:** हिंद महासागर क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस भंडार से समृद्ध है। यह संसाधन विशेष रूप से फारस की खाड़ी व सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते

हैं। यह क्षेत्र कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात के एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता है तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

- खनिज पदार्थ:** हिंद महासागर का समुद्र तल अनेक बहुमूल्य खनिजों का एक संभावित स्रोत है, जिसमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, फेरोमैंगनीज क्रस्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व शामिल हैं।
 - भारत सरकार ने 2002 में मध्य हिंद महासागर बेसिन से निकेल, कोबाल्ट, तांबा और मैंगनीज युक्त पॉलीमेटेलिक नोड्यूलस की खोज के लिए अंतरराष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण (International Seabed Authority) के साथ 15 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।

- पर्यटन:** हिंद महासागर क्षेत्र अपने आकर्षक समुद्र तटों, उष्णकटिबंधीय द्वीपों और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि यह पर्यटन और अवकाश के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है।
- मालदीव, सेशेल्स, मॉरीशस, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देश दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन इन देशों में राजस्व के साथ रोजगार उत्पन्न करता है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

- सामरिक महत्व**
 - हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) अपनी भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक और भू-रणनीतिक विशेषताओं के कारण अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखता है।
 - भू-रणनीतिक महत्व:** IOR की रणनीतिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह पूर्वी एवं पश्चिमी देशों को जोड़ता है। IOR समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए एक चौराहे के रूप में कार्य करता है।
 - लगभग 38 देश इसकी सीमा पर स्थित है, जिससे वहां एक जटिल एवं गतिशील भू-राजनीतिक परिदृश्य का निर्माण होता है।
 - भू-आर्थिक महत्व: IOR व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण है। यहां स्थित मलक्का जलडमरूमध्य, होमुज जलडमरूमध्य और बाब-अल मंडेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार प्रवाह को सुविधाजनक बनाते हैं।
 - यह क्षेत्र हाइड्रोकार्बन संसाधनों, मत्स्य पालन और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से समृद्ध है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं।

सामरिक महत्व

- हिंद महासागरीय क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियां**
 - हिंद महासागर क्षेत्र को अपने रणनीतिक महत्व और जटिल भू-राजनीतिक गतिशीलता के कारण व्यापक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
 - सशस्त्र समुद्री डकैती:** हिंद महासागर समुद्री डकैती का शहॉटस्पॉट माना जाता है, खासकर सोमालिया के तट पर और अदन की खाड़ी में। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें गिरावट आई है, लेकिन समुद्री डकैती चिंता का विषय बनी हुई है।
 - सशस्त्र डकैती में अक्सर मालवाहक जहाजों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को निशाना बनाकर उनसे वसूली की जाती है।
 - प्रादेशिक और समुद्री सीमा विवाद: हिंद महासागर क्षेत्र में कई क्षेत्रीय और समुद्री सीमा विवाद हैं। उदाहरण के लिए, केन्या और सोमालिया के बीच हिंद महासागर सीमा विवाद, भारत एवं श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा पर दावे को लेकर विवाद लंबे समय से जारी है।

हिंद महासागरीय क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियां

- सशस्त्र समुद्री डकैती:** हिंद महासागर समुद्री डकैती का शहॉटस्पॉट माना जाता है, खासकर सोमालिया के तट पर और अदन की खाड़ी में। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें गिरावट आई है, लेकिन समुद्री डकैती चिंता का विषय बनी हुई है।
 - सशस्त्र डकैती में अक्सर मालवाहक जहाजों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को निशाना बनाकर उनसे वसूली की जाती है।
- प्रादेशिक और समुद्री सीमा विवाद: हिंद महासागर क्षेत्र में कई क्षेत्रीय और समुद्री सीमा विवाद हैं। उदाहरण के लिए, केन्या और सोमालिया के बीच हिंद महासागर सीमा विवाद, भारत एवं श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा पर दावे को लेकर विवाद लंबे समय से जारी है।

☞ **मानव तथा नशीले पदार्थों की तस्करी:** हिंद महासागर मानव एवं नशीले पदार्थों की तस्करी के एक प्रमुख मार्ग के रूप में उभरा है। प्ल में अदन की खाड़ी और लाल सागर के आस-पास संगठित अपराधिक समूहों द्वारा तस्करी की गतिविधियां की जाती हैं।

- मादक पदार्थों की तस्करी भारत और समुद्री क्षेत्र के अन्य देशों के लिए एक प्रमुख सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है।
- अफगानिस्तान-पाकिस्तान गलियारा पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री मार्ग के माध्यम से अवैध नशीली दवाओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाला प्राथमिक माध्यम है।

☞ **अवैध, असूचित और अनियमित (illegal) Unreported - Unregulated - IUU) मछली पकड़ना:** यह हिंद महासागर में समुद्री संसाधनों की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है।

- भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) से परे अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने की गतिविधियों में लगातार वृद्धि हुई है। यहां तक कि चीनी नौकाओं, यूरोपीय संघ के देशों तथा क्षेत्र के बाहर के अन्य देशों की मछली पकड़ने वाली नौकाओं को हिंद महासागर में मछली पकड़ते देखा गया है।

☞ **पर्यावरणीय चिंताएं:** तेल रिसाव, समुद्री प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सहित अनेक पर्यावरणीय खतरे हिंद महासागर के पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं।

☞ **नौसेन्य प्रतियोगिता:** हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न प्रतिद्विदिता देशों (विशेष रूप से अमेरिका, रूस एवं चीन) द्वारा व्यापक स्तर पर नौसैनिक अड्डों का निर्माण किया जा रहा है।

- इससे इस क्षेत्र के देश की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को बढ़ावा मिला है।

☞ **भू-राजनीतिक तनाव:** हिंद महासागर के समुद्री क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिद्विदिता और शक्ति प्रतिस्पर्धा में समुद्री सुरक्षा के लिए अनिश्चितता और चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं। इससे सुरक्षा उपायों पर किए जाने वाले सहयोग भी प्रभावित हो सकते हैं।

जिबूती आवार संहिता जो संशोधन में विस्तार

☞ वर्ष 2017 में, पश्चिमी हिंद महासागर और अदन की खाड़ी क्षेत्र में मानव तस्करी तथा अन्य अवैध समुद्री गतिविधियों को शामिल करने के लिए जिबूती आचार संहिता (DCoC) के दायरे का विस्तार किया गया था। शामिल की गई गतिविधियों में निम्नलिखित हैं:

- मानव तस्करी,
- अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ना,
- नशीले पदार्थों की तस्करी,
- हथियारों की तस्करी,
- वन्य जीवों का अवैध व्यापार,
- कच्चे तेल को चोरी, और
- जहरीले कचरे की अवैध डपिंग।

☞ 12 जनवरी 2017 को सऊदी अरब के जेड़ा में किए गए इस संशोधन को जेहा संशोधन के नाम से जाना जाने लगा।

हिंद महासागर क्षेत्र : भारतीय दृष्टिकोण एवं प्रमुख पहलें

☞ **सागर विजन:** हिंद महासागर क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (Security and Growth For All in

the Region - SAGAR) दृष्टिकोण के सिद्धांत पर आधारित है।

- SAGAR के तहत, भारत का उद्देश्य अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना है।
- सुरक्षा के मोर्चे पर भारत सूचना/खुफिया जानकारी साझा करने, तटीय निगरानी, बुनियादी ढांचे के निर्माण और क्षमताओं को मजबूत करने में सहयोग करके अन्य देशों को उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करता है।
- अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, भारत समुद्री संसाधन प्रबंधन, नीली अर्थव्यवस्था के विकास, समुद्री कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन और क्षमता निर्माण सहित कई क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ सहयोग करता है।

☞ **सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR):** समुद्री सुरक्षा और संरक्षण के लिए सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC&IOR) की स्थापना 2018 में गुरुग्राम में भारत सरकार द्वारा की गई थी।

- इसका लक्ष्य समुद्री सुरक्षा सूचना साझाकरण के माध्यम से क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है।
- यह केंद्र 12 साझेदार देशों ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जापान, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, श्रीलंका, सेशेल्स, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर कार्य करता है।

☞ **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA):** यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर की सीमा से लगे 22 सदस्यीय देशों और 9 डायलॉग पार्टनर्स के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है। इसका गठन 1997 में हुआ था और इसका सचिवालय मॉरीशस में है।

- IORA एक क्षेत्रीय मंच है, जो सरकार, व्यापार और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है, जिससे उनके बीच सहयोग तथा वार्ता को बढ़ावा दिया जा सके।

☞ **हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS):** हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी एक स्वैच्छिक पहल है जो क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुला एवं समावेशी मंच प्रदान करके हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का प्रयास करती है।

- इसको शुरुआत 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा की गई थी।

☞ **सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र (IMAC):** सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र, गुरुग्राम में स्थित है। यह तटीय निगरानी के लिए भारतीय नौसेना का मुख्य केंद्र है।

☞ IMAC नेशनल कांड कंट्रोल कम्प्युनिकेशंस एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क (NC31 नेटवर्क) का नोडल सेंटर है। IMAC भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की एक संयुक्त पहल है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तहत कार्य करता है।

आगे की राह


☞ हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा हेतु जटिल समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए।

- ☛ **समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर समग्र परिप्रेक्ष्य का निर्माण:** समसामयिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसमें समुद्री डकैती, आतंकवाद, पर्यावरणीय खतरे और क्षेत्रीय विवादों सहित इन चुनौतियों की बहुमुखी प्रकृति को पहचानना शामिल है।
- ☛ **एक लचीली समुद्री सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक:** ऐसी व्यवस्था को समावेशिता, साझा उत्तरदायित्व तथा लचीलेपन के सिद्धांतों के आधार पर निर्मित किया जाना चाहिए। इसके तहत राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग की अनुमति देनी चाहिए, जिससे उभरती सुरक्षा चुनौतियों के लिए सामूहिक प्रतिक्रियाएं संभव हो सकें।
- ☛ **अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अनिवार्य आवश्यकता:** हिंद महासागर क्षेत्र में सामान्य समुद्री खतरों से निपटने में प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए इस क्षेत्र के देशों को एक साथ आना चाहिए। सहयोग, विश्वास और पारस्परिक सहायता की भावना को बढ़ावा देकर तथा समुद्री सुरक्षा क्षमताओं में वृद्धि करके सामूहिक रूप से सुरक्षा चुनौतियों का जवाब दिया जा सकता है।
- ☛ **सामूहिक प्रतिक्रिया के लिए सूचना साझा करना:** समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में सूचना साझा करना केंद्रीय भूमिका निभाता है। राष्ट्रों और संगठनों को सामूहिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए खुफिया जानकारी, निगरानी डेटा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- ☛ **सतत भविष्य के लिए समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना:** समुद्री सुरक्षा पहल का निर्माण सतत भविष्य लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। इसमें समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना तथा समुद्री क्षेत्र में उत्तरदायी प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा

अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी तथा आर्थिक एकीकरण का एक बेहतर विकल्प

- ☛ 9 सितंबर, 2023 को 18वें G-20 सम्मेलन के दौरान भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (India&Middle East&Europe Economic Corridor: IMEC) की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन (MoU) पर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने हस्ताक्षर किए हैं।



- IMEC की परिकल्पना परिवहन गलियारों का एक नेटवर्क (A Network of Transportation Corridors) तैयार करने के लिए की गई है। यह नेटवर्क एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच भौगोलिक एकीकरण (Geographical Integration) के माध्यम से आर्थिक संवृद्धि में सहायता करेगा।

- ☛ चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव' परियोजना को उचित प्रत्युत्तर देने के साथ IMEC परियोजना में सदस्य देशों को अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी तथा आर्थिक एकीकरण हेतु बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की क्षमता है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा क्या है?

- ☛ भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा (IMEC) एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए रेलवे लाइनों और समुद्री मार्गों से युक्त परिवहन गलियारों का एक नेटवर्क है।
- ☛ प्रस्तावित गलियारे में दो अलग-अलग गलियारे शामिल होंगे- पूर्वी गलियारा और उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा (Eastern Corridor) भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा (Northern Corridor) अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा।
- ☛ इसमें भारत और सऊदी अरब के बीच जहाज द्वारा पारगमन शामिल होगा, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और संभवतः जॉर्डन के लिए एक रेल लिंक होगा, जहां से शिपमेंट समुद्र के रास्ते तुर्की और आगे रेल नेटवर्क द्वारा जाएगा।
- ☛ रेलवे ट्रैक के साथ-साथ ऊर्जा एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल तथा स्वच्छ हाइड्रोजन निर्यात हेतु पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी।
- ☛ सदस्य देश: भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ (ईयू), इटली, फ्रांस और जर्मनी।
- ☛ **PGII का हिस्सा:** IMEC वैश्विक संरचना निवेश के लिए साझेदारी (Partnership for Global Infrastructure Investments- PGII) का एक हिस्सा है। PGII की घोषणा वर्ष 2021 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी।
- ☛ PGII को विश्व भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए लांच किया गया है। PGII के तहत घोषित एक अन्य परियोजना ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर (Trans African Corridor) है; यह अंगोला के लॉंबिटो बंदरगाह को कांगो के कटंगा प्रांत और जॉन्बिया में कॉपर बेल्ट से जोड़ेगा।

IMEC में शामिल घटक

- ☛ **रेलवे लाइंस:** इससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार की गति में 40% की बढ़ोत्तरी होगी।
- ☛ **विद्युत केबल और एक स्वच्छ हाइड्रोजन पाइपलाइन:** इससे स्वच्छ ऊर्जा व्यापार (Clean Energy Business) को बढ़ावा मिलेगा।
- ☛ **हाई स्पीड डेटा केबल:** विश्व में नवोन्मेषी डिजिटल इकोसिस्टम (Innovative Digital Ecosystem) को जोड़ा जाएगा और व्यावसायिक अवसर उत्पन्न किए जाएंगे।

गलियारे का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व

- ☛ **चीन के BRI का प्रत्युत्तर:** इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किए गए चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव' (BRI) के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है। चीन की ठप्प पहल यूरोप में रोम से होकर पूर्वी एशिया तक आवागमन के प्राचीन व्यापारिक मार्गों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है; इस परियोजना में प्रतिभाग करने वाले देश चीन की ऋण कूटनीति के जाल में फंस गए हैं।
- ☛ **मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) में भू-राजनीतिक स्थिरता:** यह गलियारा मध्य पूर्व (भारत के सन्दर्भ में पश्चिम एशिया) के देशों को एक साथ लाने और इस क्षेत्र को चुनौती, संघर्ष या संकट के स्रोत के बजाय आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।


- ☞ **राजनयिक संबंधों का सामान्यीकरण:** यह पश्चिम एशिया में राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने में मदद करेगा, जिससे इजराइल और सऊदी अरब के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित होने की संभावना है; ये दोनों देश इस परियोजना का हिस्सा हैं।
 - ☞ **स्वेज नहर एवं लाल सागर पर भू-राजनीतिक निर्भरता में कमी:** हाल के दिनों में स्वेज नहर मार्ग अत्यंत व्यस्त हो गया है। साथ ही, बाब-अल-मंदेव जलडमरूमध्य, अदन की खाड़ी एवं लाल सागर का चीन अपने सैन्यीकृत नौसैनिक अड्डों (जैसे- दोरालेह बंदरगाह) के माध्यम से सैन्यीकरण कर रहा है। ऐसे में नया आर्थिक कॉरिडोर (IMEC) परिवहन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोलेगा।
 - ☞ **जी20 की भूमिका का विस्तार:** यह परियोजना चीन तथा रूस के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए भू-राजनीतिक क्षेत्र में जी20 की भूमिका का विस्तार करके इस समूह को और अधिक मजबूत करने का भी एक प्रयास है।
 - ☞ **व्यापार और रोजगार के अवसरों में वृद्धि:** इस प्रस्तावित गलियारा परियोजना से विनिर्मित वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि होगी और स्वच्छ ऊर्जा के विकास में आसानी होगी। इससे दक्षता बढ़ेगी, लागत में कमी आएगी, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा नए रोजगार सृजित होंगे।
 - ☞ **बुनियादी ढांचे का विकास:** यह प्रस्तावित आर्थिक गलियारा परियोजना निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में विकास हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी से निपटने में मदद करेगी। यह विभिन्न महाद्वीपों तथा संस्कृतियों के मध्य एक हरित एवं डिजिटल पुल के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि इसमें रेल लिंक के साथ-साथ एक बिजली केबल लाइन, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई-स्पीड डेटा कंबल भी शामिल होगी।
- भारत के लिए महत्व**
- ☞ **मध्य-पूर्व में भारत-अमेरिका का अभिसरण:** यह परियोजना 12U2 फोरम (12U2 Forum) के बाद मध्य-पूर्व में भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दूसरा वृहद अभिसरण है। यह भारत-अमेरिका संबंधों के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण साचित हो सकता है।
 - ☞ **अरब प्रायद्वीप के साथ रणनीतिक जुड़ाव:** यह परियोजना भारत को अरब देशों के साथ स्थायी कनेक्टिविटी बनाने का अवसर प्रदान करेगी।
 - ☞ इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को एक निश्चित आकार प्राप्त होगा तथा इस क्षेत्र में भारत की भूमिका मजबूत होगी।
 - ☞ **पाकिस्तानी प्रभुत्व में कमी लाना:** पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति ने भारत के लिए कनेक्टिविटी के संबंध में लगातार चुनौतियां उत्पन्न की हैं। 1990 के दशक से ही भारत अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया के अन्य देशों तक पहुंच बनाने का प्रयास कर रहा है। यह परियोजना पाकिस्तान के भौगोलिक एकाधिकार में कमी लाएगी।
 - ☞ इतना ही नहीं, इस परियोजना के माध्यम में भारत, ईरान के चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) पर निर्भरता कम करके यूरोप के देशों तक पहुँच स्थापित करने के लिए एक अन्य वैकल्पिक परिवहन गलियारा/मार्ग प्राप्त कर सकेगा।
 - ☞ ट्रांस-अफ्रीकन कॉरिडोर (TAC) में शामिल होने का अवसर: अमेरिका तथा यूरोपीय संघ की सहायता से परिकल्पित जूब के माध्यम से अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और जाम्बिया को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। IMEC परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन से भारत को ट्रांस-अफ्रीकी कॉरिडोर में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है।

IMEC परियोजना के मार्ग में संभावित चुनौतियां

- ☞ गैर-बाध्यकारी MoU-IMEC से संबंधित समझौता ज्ञापन
- ☞ अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कोई अधिकार या दायित्व नहीं बनाता है।
- ☞ यह ज्ञापन केवल अपने प्रतिभागियों को राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करता है, जो गैर-बाध्यकारी हैं।
- ☞ **जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण:** इसमें शामिल विभिन्न देशों (विशेषकर मध्य पूर्व के देशों) के मध्य व्याप्त भू-राजनीतिक एवं आर्थिक विवाद इस गलियारे के शीघ्र कार्यान्वयन एवं निर्माण में एक प्रमुख चुनौती के रूप में हैं।
- ☞ **वित्त संबंधी चुनौती:** कॉरिडोर के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर वित्त की आवश्यकता होगी। अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में छाई मंदी को देखते हुए ऐसे फोड़ की व्यवस्था करना एक चुनौती है। इस संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती निजी क्षेत्र से वित्त जुटाना है।
- ☞ **चीनी प्रतिरोध:** चीन द्वारा पहले से ही उक्त परियोजना के साथ-साथ ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे मध्य पूर्व के अन्य देशों में व्यापक निवेश किया जा चुका है। ऐसे में इस आर्थिक एवं कनेक्टिविटी परियोजना (IMEC) को चीनी प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।

वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन

- ☞ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नए मंच का महत्व एवं चुनौतियां
- ☞ 9 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की पहल पर लॉन्च किए गए 'वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन' (Global Biofuel Alliance: GBA) का उद्देश्य जैव-ईंधन के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ने और इसे व्यापक तौर पर अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में कार्य करना है।
- ☞ वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित COP-21 सम्मेलन में लॉन्च किए गए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के बाद ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंसस भारत के नेतृत्व वाला दूसरा बहुपक्षीय मंच होगा।
- ☞ ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस की स्थापना भारत को जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के केंद्र में लाएगी और जलवायु के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी।



वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन के संदर्भ में

- ☞ यह सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, टिकाऊ जैव ईंधन विकास को बढ़ावा देने और इसके अनुप्रयोग को बढ़ाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच होगा।
- ☞ ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस (GFA) के देश भारत, ब्राजील और अमेरिका वैश्विक इथेनॉल उत्पादन का 85% हिस्सा धारित करते हैं।
- ☞ **GBA के सदस्य देश:** जीबीए के सदस्यों में 19 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। सदस्यों का विवरण निम्नलिखित है-
 - **G20 समूह के 7 देश:** अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका।
 - **G20 समूह द्वारा आमंत्रित 4 देश:** बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात।

- 8 ऐसे देश जो G20 समूह से संबद्ध नहीं हैं: आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड।
- 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन: विश्व बैंक (WB), एशियाई विकास बैंक (ADB), विश्व आर्थिक मंच (WEF), विश्व एलपीजी संगठन (World LPG Organization), यूएन एनर्जी फॉर ऑल (UN Energy for All), संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO), बायोफ्यूचर्स प्लेटफॉर्म (BF), अंतरराष्ट्रीय नगर विमान संगठन (IRENA), अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच (IEF), अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा तथा वर्ल्ड बायोगैम एसोसिएशन (WBA)
- उद्देश्य: वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
- जैव ईंधन को अपनाने तथा इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना;
- जैव ईंधन के लिए बाजारों का विकास तथा वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाना;
- परिवहन क्षेत्र में टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग में तेजी लाना;
- विश्व भर में राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए डांस नीति साझाकरण का विकास तथा तकनीकी सहायता का प्रावधान करना;
- पहले से उपयोग में लाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना तथा उन्हें लागू करना;
- प्रासंगिक मौजूदा क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ-साथ बायोएनर्जी, बायोइकोनॉमी, बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म, मिशन इनोवेशन बायोएनर्जी पहल और ग्लोबल बायोएनर्जी पार्टनरशिप (GEP) संबंधी पहलों को लागू करना।

जैव-ईंधन क्या है?

- ☞ जैव-ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन है। इसे फसल-अपशिष्ट, वनस्पति-अपशिष्ट और नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट जैसे बायोमास से प्राप्त किया जाता है।
- ☞ इसका उपयोग परिवहन में डीजल व पेट्रोल के स्थान पर अथवा इसके साथ मिश्रण में किया जाता है।

जैव-ईंधन के प्रकार

- ☞ प्रथम पीढ़ी: इसे चीनी, मक्का, स्टार्च जैसी खाद्य बस्तुओं से उत्पादित किया जाता है। यह ईंधन उच्च कार्बन सामग्री और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है।
- ☞ द्वितीय पीढ़ी: इसका उत्पादन चावल की भूसी जैसी बची हुई खाद्य फसलों से किया जाता है।
 - इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन से कम होता है।
- ☞ तृतीय पीढ़ी: इसे शैवाल जैसे सूक्ष्मजीवों से निर्मित किया जाता है। यह कार्बन न्यूट्रल ईंधन के रूप में जाना जाता है।
- ☞ चतुर्थ पीढ़ी: यह GM फसलों जैसी आनुवंशिक रूप से इंजीनियर की गई फसलों से उत्पादित जैव ईंधन है। यह कार्बन नकारात्मक ईंधन के रूप में जाना जाता है।

जैव-ईंधन को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहलें

- ☞ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ट्रुवर्स अफॉर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन पहल: इसका लक्ष्य वर्ष 2023-24 तक 5000 बायो सीएनजी संयंत्र (Bio CNG Plants) स्थापित करना है।
- ☞ गोबर-धन योजना: इसका लक्ष्य 500 नए संपीडित बायोगैस संयंत्र (Compressed Biogas Plant) स्थापित करना है।

- ☞ समर्थ (SAMARTH) योजना: तापीय विद्युत संयंत्र में कृषि अवशेषों के उपयोग पर सतत कृषि मिशन (SAMARTH) योजना चलाई जा रही है, यह कृषि अपशिष्ट के उचित उपयोग पर केंद्रित है।
- ☞ जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 (National Policy on Biofuels 2018): यह इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में गन्ने के रस, चीनी युक्त सामग्री जैसे चुकंदर, मोठे ज्वार (Sweet Sorghum) के उपयोग को बढ़ावा देती है।
- ☞ प्रधानमंत्री जी-वन योजना (Pradhan Mantri Ji-Van Yojana): योजना का उद्देश्य वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना तथा 2जी इथेनॉल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है।
- ☞ इथेनॉल सम्मिश्रण (Ethanol Blending): इथेनॉल सम्मिश्रण के दृष्टिकोण से भारत पहले से ही 10% के इथेनॉल मिश्रण अर्थात ई-10 (E-10) प्राप्त कर चुका है। भारत ने वर्ष 2030 के स्थान पर वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- ☞ खाना पकाने में प्रयुक्त तेल का पुनः उपयोग (Repurpose Used Cooking Oil- RUCO): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा लॉन्च की गई इस योजना का लक्ष्य एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, जो प्रयुक्त किए गए खाना पकाने के तेल के संग्रह और उसके बायोडीजल में रूपांतरण को सक्षम बनाएगी।

ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस का महत्व

- ☞ यह प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देकर जैव-ईंधन के वैश्विक उपयोग में तेजी लाएगा। साथ ही, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी करेगा।
- ☞ यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों, संहिताओं, संधारणीय सिद्धांतों तथा विनियमों के विकास, अंगीकरण और कार्यान्वयन में मदद करेगा। इस कदम से वैश्विक स्तर पर जैव-ईंधन को अपनाने और इसके व्यापार को व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा।
- ☞ यह गठबंधन वैकल्पिक ईंधन के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ने और वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन (Net Zero Carbon Emissions) प्राप्त करने में भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेगा।

ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस से संबंधित चिंताएं

- ☞ संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश प्रायः प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रति इच्छुक नहीं होते हैं।
- ☞ इससे संबंधित कुछ पर्यावरणीय चिंताओं में फसल उगाने के लिए भूमि का अधिक उपयोग, भूमि उपयोग में परिवर्तन तथा जल का अधिक दोहन आदि शामिल हैं।
- ☞ सतत वित्त पोषण तंत्र (Sustainable Financing Mechanism) की स्थापना पर सहमति बनाना और जैव-ईंधन पर आयात प्रतिबंधों से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी प्रमुख चुनौतियों में से एक है।

भविष्य की राह

- ☞ ग्लोबल वार्याफ्यूल्स एलायंस (GBA) फोरम को एक स्थिर मंच के रूप में सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें लघु और मध्यम अवधि में हासिल किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए।
- ☞ GBA का तात्कालिक उद्देश्य बायोमास आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना होना चाहिए।
- ☞ GBA को कृषि अवशेषों से दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल के कुशल उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी के कुशल हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- ☞ GBA को स्थायी विमानन ईंधन (Sustainable Aviation Fuel- SAF) हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्पादन सुविधाओं का प्रदर्शन करना चाहिए तथा बायोर्याएनर्जी पहल (Bioenergy Initiatives) के लिए स्थायी विनीय सहायता को बढ़ावा देना चाहिए।